

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266634
SG-DL-E-03102025-266634असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/ आश्विन 4, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 254
No. 291]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ ASVINA 4, 1947	[N. C. T. D. No. 254

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

फा.सं. 5(27)/2025/ऊर्जा/6032.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 180 की उपधारा (2) के खंड (जे) तथा धारा 106 और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या फा.सं. यू-11030/2/2003-यूटीएल के साथ पठित इस संबंध में सक्षम बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ— (1) इन नियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (बजट) (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाए।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (बजट) नियमावली, 2006 के नियम 5 में, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“5. बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के वित्त पोषण के स्रोत —

(1) इस प्रकार तैयार अनुमान, अर्थात् बजट, प्रथमतः डीईआरसी निधि से वित्तपोषित होंगे और यदि डीईआरसी निधि पर्याप्त नहीं है, तो कमी की पूर्ति सरकार द्वारा अनुदान सहायता और ऋण के रूप में की जा सकती है।

(2) चालू वर्ष हेतु इस प्रकार तैयार संशोधित अनुमानों में कोई भी वृद्धि, प्रथमतः, डीईआरसी निधि से वित्त पोषित होगी और यदि डीईआरसी निधि पर्याप्त नहीं है, तो कमी की पूर्ति सरकार द्वारा अनुदान सहायता और ऋण के रूप में की जा सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विकास पाण्डे, उप-सचिव

नोट : मूल नियम दिनांक 10 नवंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या फा0सं0 11(167)/2005/विद्युत/2870 दिल्ली राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 05 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या फा. 11(167)/2005/विद्युत/2977 द्वारा शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया।

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATION

Delhi, the 25th September, 2025

F. No. 5(27)/2025/DERC/Power/6032.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 180 and section 106 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling in this behalf read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.No.U-11030/2/2003-UTL dated 20th February, 2004, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Budget) (Amendment) Rules, 2025

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. In the Delhi Electricity Regulatory Commission (Budget) Rules, 2006, in rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

“5. Sources of funding of the budget estimates and the revised estimates.-

(1) The estimates, that is to say, the budget, so prepared shall be, at the first instance, funded from the DERC Fund and in case the DERC Fund is not sufficient, the short fall may be provided by the Government in the shape of grant-in-aid and loans.

(2) Any increase in the revised estimates for the current year so prepared, shall be, at the first instance, funded from the DERC Fund and in case the DERC Fund is not sufficient, the short fall may be provided by the Government in the shape of grant-in-aid and loans. ”

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

VIKAS PANDEY, Dy. Secy.

Note : The Principal Rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary vide notification number F.No. 11(167)/2005/Power/2870 dated 10th November, 2006 and corrigendum vide notification No. F.11 (167)/ 2005/ Power/2977 dated 05.12.2007.